<u>सार्वजनिक सूचना/ सावधानी सूचना</u>

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण "एपीडा" ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत आवश्यक किसी पंजीकरण, अनुपालना, रिटर्न दाखिल करने इत्यादि किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की सलाह और/ अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए कभी भी किसी ऑनलाइन वेबसाइट/ पोर्टल सहित किसी तीसरे पक्ष / एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है।

साथ ही, यह भी सूचित किया जाता है कि एपीडा का किसी भी तीसरे पक्ष / एजेंसी द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से **'youtube.com'** और/ अथवा किसी अन्य प्लेटफार्म पर अब तक अपलोड किए गए किसी भी वीडियो से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। एपीडा के लोगो और नाम का किसी भी तरह से इस्तेमाल करना न केवल गैर- अधिकृत है बल्कि गैर-कानूनी भी है ।

यह भी सूचित किया जाता है कि एपीडा और/ अथवा इसका कोई का भी अधिकारी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रुप से किसी भी तरह से कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति से अपने व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरों का प्रयोग करने की कोई भी मांग और/ अथवा अनुनय विनय करने का प्रयास नहीं करता। एपीडा और/ अथवा इसके अधिकारियों के साथ समस्त पत्राचार, केवल सरकारी माध्यमों/ टेलीफोन नम्बरों और '**apeda.gov.in'** डोमेन नाम के साथ समाप्त ईमेल पते के तहत ही किया जाता है।

सर्वसाधारण को, किसी ऐसी तीसरे पक्ष / एजेंसी के साथ किसी भी प्रकार का लेन- देन किए जाने और साथ ही, एपीडा के लोगो और नाम का इस्तेमाल करके ऐसे किसी भी ऑनलाइन वीडियो को अपलोड किए जाने, विज्ञापन दिए जाने अथवा भरोसा किए जाने के खिलाफ सावधान किया जाता है। ऐसी किसी भी तीसरे पक्ष / एजेंसी की इस प्रकार की धोखाधड़ी के कृत्य के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे किसी भी भुगतान, नुकसान होने के लिए उस व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी न कि एपीडा की और न ही एपीडा का कोई अधिकारी ऐसे किसी कृत्य के लिए जिम्मेदार होगा ।

यह उल्लेखनीय है कि एपीडा द्वारा अपनी समस्त सूचना का प्रचार- प्रसार केवल अपनी वेबसाइट **'apeda.gov.in' के माध्यम से ही किया जाता है।**

इसके अलावा, ऐसी सभी तीसरे पक्ष / एजेंसी को, किसी भी तरह से स्वयं को गलत तरीके से एपीडा का अधिकृत और/ अथवा संबंधित बताना और बिना किसी कानूनी प्राधिकार के एपीडा के नाम और लोगो का इस्तेमाल करना तत्काल बंद करने का आदेश दिया जाता है। यदि कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो एपीडा द्वारा ऐसी तीसरे पक्ष / एजेंसी के खिलाफ बिना कोई नोटिस दिए आपराधिक और सिविल कार्रवाई की जाएगी ।

सामान्यत: आम जनता को और विशेष रुप से निर्यातकों को पुन: सावधान किया जाता है और यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसी किसी भी ऐसी तीसरे पक्ष / एजेंसी से लेने- देन करने से बचें।

सूचना जनहित में जारी की जाती है और इसके लिए सावधान किया जाता है।